



Neutral Citation No-2026:AHC:5582

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 3313 वर्ष 2025

लाला याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: डीसी द्विवेदी, शशि धर द्विवेदी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, आर.के. मिश्रा, शिव प्रकाश

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री शशिधर द्विवेदी, अभियोग आवेदक के अधिवक्ता श्री शिव प्रकाश तिवारी के साथ-साथ राज्य के प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बदले हुए परिदृश्य में याचिकाकर्ता प्रस्तुत रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहता है, इसलिए, इसे वापस लिए जाने के रूप में खारिज किया जा सकता है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का कोई विरोध नहीं है।
4. इस प्रकार, प्रस्तुत रिट याचिका को वापस ले लिया गया मानकर **खारिज** किया जाता है।

9 जनवरी, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)